

## मात्रात्मक डेटा के आधार पर आरक्षण

यह एडिटरियल 09/11/2021 को 'द हट्टि' में प्रकाशित "No quota without quantifiable data" लेख पर आधारित है। इसमें आरक्षण के कार्यान्वयन से संबद्ध मुद्दों और मौजूदा आँकड़ों की कमी की समस्या के संबंध में चर्चा की गई है।

### संदर्भ

मद्रास उच्च न्यायालय के हालिया नरिणय, जिसके तहत अत्यंत पछिड़े वर्गों (Most Backward Classes- MBC) और वमिक्त समुदायों (Denotified Communities- DNC) के लिये समग्र रूप से 20% आरक्षण में से वन्नयिकुला कषत्रयिों को दयि गए 10.5% वशिष आरक्षण को रद्द कर दयिा गया था, के कारण एक बार फरि शकिषा और रोजगार में आरक्षण के लयि मात्रात्मक आँकड़ों की उपलब्धता के महत्त्व पर प्रकाश पड़ा है।

वर्ष 2020 में तमलिनाडु सरकार ने वशिष कोटा कानून पारति कयिा था, जसि मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी और उच्च न्यायालय ने इसे असंवैधानकि करार दयिा था।

तमलिनाडु के महाधविकता (एडवोकेट जनरल) ने सरकार का पक्ष रखते हुए इस बात पर वशिष बल दयिा था कि इस कानून को द्वतीय पछिड़ा वर्ग आयोग द्वारा प्रदत्त MBCs और DNCs के पर्याप्त सत्यापति जनसंख्या आँकड़ों के आधार पर अधनियमति कयिा गया है, लेकनि न्यायालय ने माना कि कानून लाने के लयि राज्य सरकार के पास बेहद कम मात्रात्मक आँकड़े मौजूद थे।

इस संदर्भ में आरक्षण की बारीकयिों और मौजूदा आँकड़ों की कमी पर पुनर्वचिार करने की आवश्यकता है।

### आरक्षण की आवश्यकता

- देश में पछिड़ी जातयिों के साथ हुए ऐतिहासकि अन्याय को दूर करने हेतु।
- पछिड़े वर्गों के लयि प्रगतिका समान अवसर प्रदान करने हेतु, क्योकि वे उन समूहों के साथ सामान्य रूप से प्रतस्पर्द्धा नहीं कर सकते जनिकी सदयिों से संसाधनों और साधनों तक सामान्य पहुँच रही है।
- राज्य के अधीन सेवाओं में पछिड़े वर्गों के पर्याप्त प्रतनिधित्व की सुनिश्चतिता के लयि।
- पछिड़े वर्गों की उन्नतकि लयि।
- समानता को योग्यता तंत्र (Meritocracy) का आधार बनाने के लयि; अर्थात योग्यता के आधार पर अवसरों के नरिधारण से पहले सभी व्यक्तयिों को एकसमान स्तर पर लाया जाना आवश्यक है।

### आरक्षण के लाभ

- यह उच्च शकिषा में वविधिता सुनिश्चति करता है, कार्यस्थल पर समानता लाता है और पछिड़े वर्गों की घृणा या द्वेष से सुरक्षा प्रदान करता है।
- यह वंचति व्यक्तयिों के उद्धार में मदद करता है और इस प्रकार समानता को बढ़ावा देता है।
- यह जाति, धर्म और जातीयता के संबंध में वदियमान रूढ़यिों को समाप्त करता है।
- यह सामाजकि गतिशीलता की वृद्धकि करता है।
- सदयिों के उत्पीड़न एवं भेदभाव की भरपाई करने और समान अवसर प्रदान करने हेतु यह काफी महत्त्वपूर्ण है।
- यह 'वर्गीकृत असमानताओं' को संबोधति कर समाज में समानता लाने का प्रयास करता है।

### आरक्षण के दोष

- ऐसी चतिाएँ प्रकट की जाती हैं कि आरक्षण योग्यता के क्षरण की ओर ले जाता है।
- कई जानकार मानते हैं कि आरक्षण व्यवस्था रूढ़यिों को सुदृढ़ बनाता है, क्योकि आरक्षण के माध्यम से प्राप्त वंचति वर्गों की उपलब्धयिों को नीची नज़रों से देखा जाता है।

- आरक्षण के दायरे में आने वाले लोगों की सफलता को उनकी योग्यता और श्रम के बजाय आरक्षण का परिणाम बताया जाता है।
- ऐसी चर्चाएँ भी प्रकट की जाती हैं कि आरक्षण 'प्रतिलोम विभेदन' (Reverse Discrimination) के एक माध्यम के रूप में कार्य कर सकता है।
  - 'प्रतिलोम विभेदन' किसी अल्पसंख्यक या ऐतिहासिक रूप से वंचित समूह के सदस्यों के पक्ष में प्रभुत्वशाली या बहुसंख्यक समूह के सदस्यों के साथ भेदभाव का दृष्टिकोण है।
- गुजरात के साथ भेदभावजनक विधियों में कमी आने के बावजूद, वोट बैंक की राजनीतिक कारण आरक्षण व्यवस्था को समाप्त करना कठिन है।

## संबद्ध मुद्दे

- **वसित्त अध्ययन का अभाव:** यह एक तथ्य है कि तिमलिनाडु के द्वितीय पछिड़ा वर्ग आयोग (जिसके अध्यक्ष जे.ए. अंबाशंकर के नाम से भी जाना जाता है) द्वारा इसके कार्यकाल (1982-1985) में किये गए अध्ययन के बाद से शिक्षा और रोजगार के विषय में विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधित्व के संबंध में मातृरात्मक आँकड़ों के संग्रह के लिये कोई भी वसित्त अध्ययन नहीं किया गया है।
- **आंतरिक आरक्षण:** आंतरिक आरक्षण की आवश्यकता एक से अधिक कारणों से महसूस की गई है। यह पाया गया है कि समुदायों के कुछ वर्ग अन्य की तुलना में अधिक पछिड़े हुए हैं।
  - आरक्षण में 'क्रीमीलेयर' की अवधारणा लागू न होने से स्थिति और भी बिकट हो गई है।

## आगे की राह

- **वर्ष 1992 के नरिणय की समीक्षा करना:** सर्वोच्च न्यायालय को एक कदम आगे बढ़ते हुए इंदिरा साहनी मामले की पुनर्समीक्षा करनी चाहिये ताकि उच्च न्यायालयों द्वारा दिये गए विभिन्न नरिणयों के कारण उत्पन्न हुई समस्याओं को संबोधित किया जा सके।
  - आरक्षण व्यवस्था का उद्देश्य जाति आधारित जनगणना में हाशिये पर स्थित समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाना होना चाहिये।
- **संघीय ढाँचे को बनाए रखना:** आरक्षण के मुद्दे पर विचार करते समय यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि विभिन्न समुदायों को आरक्षण प्रदान करने में राज्य सरकार संघीय ढाँचे को अक्षुण्ण बनाए रख रहे हैं या उसे नष्ट कर रहे हैं।
  - संविधान के अनुच्छेद 341 और अनुच्छेद 342 के तहत, किसी समुदाय विशेष को अनुसूचित जाति (SC) या अनुसूचित जनजाति (ST) घोषित करना संसद में नहीं शक्ति है।
- **आरक्षण और योग्यता के बीच संतुलन रखना:** समुदायों को आरक्षण देते समय प्रशासन की दक्षता को ध्यान में रखना भी आवश्यक है।
  - सीमा से अधिक आरक्षण योग्यता की अनदेखी करेगा, जो फिर समग्र प्रशासन को कमजोर कर सकता है।
  - आरक्षण का एकमात्र उद्देश्य वंचित समुदायों के साथ किये गए ऐतिहासिक अन्याय के मुद्दे को संबोधित करना है, लेकिन एक निश्चित बटु से परे योग्यता की भी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिये।
- पछिड़ों को न्याय, अगड़ों के लिये समानता और समग्र व्यवस्था के लिये दक्षता के बीच संतुलन के लिये एक मज़बूत राजनीतिक इच्छाशक्ति अनिवार्य है।

## निष्कर्ष

आरक्षण समाज के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पछिड़े वर्गों के लाभ के लिये उपयुक्त सकारात्मक भेदभाव करता है। आरक्षण यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि समाज के सबसे पछिड़े सदस्यों को इसका लाभ मिले।

**अभ्यास प्रश्न:** आरक्षण समाज के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पछिड़े वर्गों के लाभ के लिये उपयुक्त सकारात्मक भेदभाव करता है। इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये।